

विषय:- दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 1172 ईडब्ल्यूएस/जनता फ्लैटों के निपटान हेतु डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) आधार पर ऑनलाइन स्कीम

1. योजना:-

1.1. एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली द्वारा फ्लैटों के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस योजना का शीर्षक "डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) है। इस योजना की समय-सीमा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1.	स्कीम लॉन्च होने की तिथि	11.09.2025
2.	एफसीएफएस हेतु प्रशिक्षण और जानकारी के लिए हेल्प डेस्क का प्रचालन	11.09.2025
3.	डाउनलोड करने हेतु तैयार ब्रोशर	11.09.2025
4.	पंजीकरण की शुरुआत	11.09.2025
5.	फ्लैट बुकिंग की शुरुआत	22.09.2025 दोपहर 12.00 बजे से
6.	योजना का समापन	21.12.2025

2. पात्रता:

- 2.1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 2.2. आवेदक ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात्, आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए।
- 2.3. दिल्ली में किसी भी प्रकार की भूमि/निर्मित संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- 2.4. ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक और संयुक्त/सह-आवेदक, यदि दोनों परिवारों को अलग-अलग माना जाता है तो उनकी **पारिवारिक आय** 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस खंड के लिए पारिवारिक आय को आवेदक और उसके पति/पत्नी, यदि विवाहित है, की आय को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।
- 2.5. **आवेदक को 'आवेदन-पत्र' में केवल अपने नाम पर किसी भी बैंक में अपने बचत खाते का विवरण देना होगा।**

- 2.6. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और आवेदन-पत्र में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 2.7. विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के अन्तर्गत संयुक्त आवेदन के मामले में, आवेदक स्वयं संबंधित आरक्षित श्रेणी में आना चाहिए और संयुक्त आवेदक/सह-आवेदक परिवार का सदस्य होना चाहिए। इस खंड के लिए "परिवार" से अभिप्राय व्यक्ति या उसके माता-पिता या उसके रक्त संबंधी या उसका पति/पत्नी या अविवाहित बच्चों सहित उनके किसी आश्रित संबंधी से है।
- 2.8 आसान प्रक्रिया के लिए बाद के बजाय आवेदन के समय ही सह-आबंटिती, यदि कोई हो, को जोड़े जाने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन कैसे करें:-

- 3.1. इच्छुक व्यक्तियों को डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dda.gov.in अथवा [https://eservices.dda.org.in](http://eservices.dda.org.in) पर जाना होगा और पैन तथा अन्य विवरणों का उपयोग करके लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना होगा और उसके बाद उसी के साथ लॉगिन करना होगा तथा 2,500/- रुपये (जीएसटी सहित) का भुगतान करके डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (एफसीएफएस) के लिए स्वयं को पंजीकृत करना होगा। इस राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाना है और यह राशि अप्रतिदेय (नॉन-रिफंडेबल) है। पंजीकरण दिनांक 11.09.2025 से शुरू होगा। जिन आवेदकों ने पहले ही एफसीएफएस में अपना पंजीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- 3.2. इच्छुक व्यक्ति सभी संबद्ध विवरण जैसे फ्लैट का आकार, पॉकेट की अवस्थिति, कीमत, फ्लैट/पॉकेट का ले-आउट प्लान [https://eservices.dda.org.in](http://eservices.dda.org.in) पर ऑनलाइन देख सकते हैं। ये सभी फ्लैट पूरी तरह से तैयार (रेडी-टू-मूव-इन) हैं।
- 3.3. इच्छुक व्यक्ति [https://eservices.dda.org.in](http://eservices.dda.org.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उनके पास 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर एक विशिष्ट फ्लैट बुक करने का विकल्प होगा।
- 3.4. बुकिंग 22.09.2025 से आरंभ होगी। यदि एक बार विशिष्ट फ्लैट ऑनलाइन चुन लिया जाता है, तो उसे केवल सिंगल ट्रांजेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन मोड (केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड) में बुकिंग राशि जमा करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट की इस अवधि के दौरान, वह विशिष्ट फ्लैट अन्य व्यक्तियों द्वारा चयन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करें और अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ इंटरनेट बैंकिंग पर, जैसा भी मामला हो, अपेक्षित धन राशि की उपलब्धता एवं आवश्यक लेन-देन सीमा सुनिश्चित करें।

3.5. जैसे ही नीचे पैरा (3.6) में उल्लिखित बुकिंग राशि आवेदक द्वारा 15 मिनट की अवधि के अंदर सफलतापूर्वक जमा कर दी जाती है और बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, चयनित फ्लैट आवेदक के लिए आरक्षित/बुक किया जाएगा और 24 घंटे की अवधि के अंदर तदनुसार मांग एवं आबंटन-पत्र जारी किया जाएगा।

3.6. डीडीए जन साधारण आवास योजना में ईडब्ल्यूएस/जनता फ्लैटों के लिए **अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल)** बुकिंग राशि 50,000 रुपये है।

नोट: सफल बुकिंग के मामले में भुगतान की गई बुकिंग राशि को फ्लैट की कीमत में समायोजित किया जाएगा, **लेकिन यह राशि अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) होगी और सरेंडर/रद्दकरण/मांग अनुसूची के अनुसार मांग की गई शेष राशि का भुगतान न करने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जाएगी।**

3.7. फ्लैट की कीमत का भुगतान:

3.7.1 मांग एवं आबंटन-पत्र जारी किए जाने की तिथि से 60 दिन की अवधि के अंदर फ्लैट की कीमत जमा करनी होगी।

3.7.2 विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) से संबंधित आबंटन के मामले में भुगतान करने के दो विकल्प होंगे, अर्थात् किराया-खरीद आधार पर या नकद भुगतान आधार पर आबंटन। किराया-खरीद आबंटन के मामले में प्रारंभिक भुगतान कुल कीमत का 25% होगा, जिसे 60 दिनों के अंदर जमा करना होगा। शेष राशि 15 वर्ष तक की अवधि में मासिक किस्तों में ली जाएगी। ब्याज दर मासिक घटती शेष राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज है, जो बैंकों द्वारा आवास ऋण ईएमआई पर लिए जाने वाले ब्याज के समान है।

3.7.3 आबंटिती को उपर्युक्त अनुच्छेद 3.7.1 और 3.7.2 में यथा निर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त 30 दिन का समय 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज (साधारण ब्याज) के भुगतान करने के अधीन होगा। **यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मांग की गई राशि के भुगतान में किसी भी कमी के लिए, ब्याज पूरी राशि के लिए लागू होगा और डीएएल में दिए गए सूची के अनुसार पूरे महीने के लिए लागू होगा।** इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि ब्याज के भुगतान से बचने के साथ-साथ अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए आवश्यक भुगतान निर्धारित अवधि से पहले ही कर दिया जाना चाहिए।

3.7.4 यदि मांग एवं आबंटन-पत्र में निर्धारित समय के अंदर मांगी राशि का भुगतान आबंटिती द्वारा नहीं किया जाता है, तो फ्लैट का आबंटन बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा और यह फ्लैट अन्य व्यक्ति को आबंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पूरी बुकिंग राशि जब्त कर ली जाएगी।

- 3.7.5. भुगतान में 90 दिनों से अधिक 2 दिनों तक की देरी (अर्थात 60 दिनों की ब्याज-मुक्त अवधि और (30 दिन@10%ब्याज) स्वतः ही माफ कर दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भुगतान में 90 दिनों तक की देरी की अनुमति 14% की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ दी जा सकती है, बशर्ते कि निपटान मूल्य का कम से कम 25% ऊपर बताए अनुसार प्राप्त हो गया हो। नीचे उल्लिखित प्रत्यायोजन के अनुसार देरी को नियमित किया जाएगा:

क्र.सं.	विलंब की अवधि	सक्षम प्राधिकारी
1.	2 दिन तक	नियमितिकरण/पुनः बहाली की आवश्यकता के बिना स्वतः ही माफ कर दिया जाएगा। (10% ब्याज के साथ)
2.	3 से 60 दिन तक	निदेशक (आवास) (शेष राशि पर 14% की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ, बशर्ते कि डीएएल के अनुसार निपटान मूल्य का कम से कम 25% प्राप्त हो गया हो)
3.	61 से 90 दिन तक	आयुक्त (आवास) (शेष राशि पर 14% की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ, बशर्ते कि डीएएल के अनुसार निपटान मूल्य का कम से कम 25% प्राप्त हो गया हो)
4.	यदि अंतिम देय तिथि को कोई अवकाश हो	देय तिथि स्वतः ही अंतिम देय तिथि के बाद पहले कार्य दिवस तक बढ़ा दी जाएगी।

- 3.7.6 (उपर्युक्त पैरा 3.7.1 से 3.7.4 में) यथा निर्धारित समय के बाद यदि मांगी गई राशि प्राप्त नहीं होती है, तो इसे आबंटन का स्वतः रद्दीकरण माना जाएगा।

- 3.7.7. किसी भी परिस्थिति में, मांग अनुसूची के अनुसार पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद समर्पण (सरेंडर) के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 3.8. सफल आवेदकों को मांग एवं आबंटन पत्र सामान्यता बुकिंग राशि की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी दिए गए मोबाइल और ईमेल के माध्यम से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से इसकी जांच करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। भौतिक मोड, एसएमएस और ईमेल में मांग एवं आबंटन पत्र प्राप्त न

होने के आधार पर मांग राशि जमा करने में देरी को माफ करने के किसी अनुरोध पर डीडीए द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

4. फ्लैटों के ड्रा के बाद और फ्लैट के कब्जे से पहले केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

- 4.1. नीचे दिए गए **अनुलग्नक 'ख'** के अनुसार आबंटिती और सह-आबंटिती, यदि कोई हो, द्वारा नागरिकता, वयस्कता की आयु आदि को प्रमाणित करने वाला शपथ-पत्र (विधिवत रूप से अनुप्रमाणित)।
- 4.2. दो आसन्न फ्लैटों के एकीकरण के सिद्धांतों के अधीन आवासीय इकाई में कोई अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं करने और आरडब्ल्यूए का गठन करने की घोषणा करते हुए (आबंटिती और सह-आबंटिती यदि कोई हो) द्वारा, नीचे दिए गए **अनुलग्नक 'ग'** के अनुसार वचन बंध-पत्र (विधिवत रूप से अनुप्रमाणित)।
- 4.3. पहचान प्रमाण अर्थात् पासपोर्ट, आधार कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित राशन कार्ड (कोई एक) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।
- 4.4. पते का प्रमाण अर्थात् पासपोर्ट, आधार कार्ड, सरकारी पहचान-पत्र, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, आवेदन-पत्र में दिए गए पते की हाउस टैक्स रसीद आदि, बैंक पासबुक जिसमें नाम और पता हो (कोई एक) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।
- 4.5. आबंटिती (सह-आबंटिती, यदि कोई हो) और पति/पत्नी (यदि कोई हो) के पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।
- 4.6. बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित ऋण (यदि कोई हो) स्वीकृति-पत्र की प्रति।
- 4.7. बैंक विवरण की प्रतिलिपि, जिसमें उसके नाम और खाता संख्या का उल्लेख हो, जिससे मार्जिन मनी (ऋण के अलावा) (यदि कोई हो) डीडीए को जमा की गई है।
- 4.8. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मामले में, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, **जो जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा।**
- 4.9. उपर्युक्त के अलावा, आरक्षित पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि आवेदक विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर रहा है। जहां भी लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

संरक्षकता प्रमाण-पत्र की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। **प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।**

4.10. टीडीएस प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) की प्रति ।

4.11. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कब्जे के लिए ऑनलाइन पोर्टल में उल्लिखित दस्तावेज को समर्थित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5. फ्लैटों का निपटान मूल्य:-

फ्लैटों की अनंतिम निपटान कीमत **अनुलग्नक "क"** में दी गई है। फ्लैटों की निपटान कीमत की गणना कॉमन एरिया सहित फ्लैटों के प्लिंथ एरिया के अनुसार की जाती है। निपटान कीमत में रखरखाव प्रभार भी शामिल है जैसा कि नीचे पैरा 9 में बताया गया है। श्रेणी में कीमत में भिन्नता, यदि कोई है, तो वह फ्लैटों के कॉमन एरिया सहित प्लिंथ एरिया में भिन्नता के कारण है।

नोट: निपटान मूल्य में फ्रीहोल्ड संपत्ति के लिए यथा लागू परिवर्तन प्रभार और 2000/- रुपये का वाटर कनेक्टिविटी प्रभार शामिल नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस/जनता फ्लैटों के लिए कोई परिवर्तन प्रभार नहीं हैं।

6. मांगी गई राशि के भुगतान की विधि:-

6.1. बुकिंग राशि/आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान किसी भी खाते से एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग के माध्यम से केवल **ऑनलाइन चालान जनरेशन** के माध्यम से किया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी प्रभार, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, आबंटिती द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदकों को कई भुगतानों के लिए एक ही जेनरेट किए गए एनईएफटी चालान का उपयोग नहीं करना चाहिए।

6.2. फ्लैटों का आवंटन दिव्यांगजन श्रेणी के दिव्यांग के आवेदकों के अतिरिक्त, केवल नकद भुगतान के आधार पर किया जाएगा। जिनके पास नकद भुगतान या समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में भुगतान करने का विकल्प होगा, जो उनके मामले में लागू नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। ब्याज दर मासिक घटते हुए बकाया पर 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर होगी।

6.3. ऑनलाइन मांग एवं आवंटन पत्र जारी होने के बाद मांगी गई राशि आबंटिती के खाते से या निर्दिष्ट संबंधियों के खाते से एनईएफटी, आरटीजीएस या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन चालान जनरेट करने की प्रक्रिया द्वारा ही जमा की जानी

चाहिए। डीडीए किसी भी माध्यम से किए गए भुगतान पर कोई सेवा प्रभार वहन नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के लिए निर्दिष्ट संबंधियों में आबंटिती का पति/पत्नी, पिता, माता, बहन, भाई, पुत्र, पुत्री, पोता/पोती, बहू (पुत्र/पोते की पत्नी), दामाद (पुत्री का पति) या पोती का पति शामिल हैं (इस परिभाषा के लिए, पोता/पोती से अभिप्राय आबंटिती के पुत्र या पुत्री के बच्चे से है)। इसके अतिरिक्त, प्रोपराइटरशिप फर्म द्वारा किया गया भुगतान, जहां आबंटिती स्वामी है, भी विचारणीय होगा।

7. बंधक रखना/ऋण प्राप्त करना:

आबंटिती दिल्ली विकास प्राधिकरण/विकासकर्ता संस्था (डीई) के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्नलिखित संस्थाओं को फ्लैट बंधक रखकर आवास ऋण प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि, जिसमें निपटान/मांग कीमत सहित सभी बकाया राशियों की वसूली की सीमा तक विकासकर्ता संस्था का पहला ग्रहणाधिकार होगा। हालांकि, जिस संस्था के पास फ्लैट बंधक रखा गया है, उसकी सूचना संबंधित विकासकर्ता संस्था को भेजनी होगी। समय पर ऋण के लिए आवेदन करना आवेदक का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा। **आवास-ऋण के लिए आवेदन की सूचना मांग एवं आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर संबंधित विकासकर्ता संस्था को जमा कर देनी चाहिए।** संबंधित बैंक द्वारा ऋण-प्रक्रिया में किसी भी विलम्ब के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण/विकासकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगा। विलंबित भुगतान के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा और उसे लागू होने वाले किसी भी अतिरिक्त ब्याज या जुर्माने का भुगतान करना होगा। ऋण/बंधक सुविधा निम्नलिखित संस्थाओं से प्राप्त की जा सकती है।

- 7.1.1 भारत सरकार: राज्य सरकार; संघ शासित प्रदेश प्रशासन;
- 7.1.2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय;
- 7.1.3. राष्ट्रीयकृत बैंक;
- 7.1.4. भारतीय जीवन बीमा निगम; भारतीय सामान्य बीमा निगम;
- 7.1.5. आवास विकास वित्त निगम;
- 7.1.6. सहकारी बैंक;
- 7.1.7 एमसीडी; एनडीएमसी;
- 7.1.8. सभी संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ, चाहे उनकी शेयरधारिता का प्रतिशत कुछ भी हो;

7.1.9. दिल्ली विश्वविद्यालय;

7.1.10. निजी या सार्वजनिक, सभी संगठन, जिन्हें सामान्य बंधक अनुमति के उद्देश्य से भारत सरकार या राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त है और जिन्हें आरबीआई द्वारा आवास वित्त कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है;

7.1.11. आवास-निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाले सभी वित्तीय संस्थान, यदि वे 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजी आधार के साथ बाजार में अच्छी स्थिति और प्रतिष्ठा वाली अग्रणी कंपनियां हैं;

7.1.12. आरबीआई या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सभी वित्तीय संस्थाएं/बैंक जिनमें सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत कुछ भी हो;

7.1.13. 5 करोड़ रुपये के पूंजी आधार वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां जिनके पास अपने कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम/ऋण देने की एक योजना है और ऐसे अग्रिमों को देने के लिए बंधक की आवश्यकता होती है।

8. दुरुपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन, आदि:-

8.1. फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य **डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (पहले आओ पहले पाओ)** के अंतर्गत प्रस्तावित दो आसन्न फ्लैट खरीदते हैं, तो उन्हें **संरचनात्मक रूप से संभव होने पर और डीडीए से आवश्यक संरचनात्मक अनुमोदन** प्राप्त करने के अधीन, उनके बीच की साझा दीवार में एक साझा दरवाजा खोलकर इन दोनों फ्लैटों को मिलाने की स्वतंत्रता होगी।

9. कॉमन भागों और कॉमन सेवाओं आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी:-

9.1. प्रत्येक आवंटी के लिए इन आवासीय पॉकेटों के सामान्य भागों एवं सामान्य सेवाओं के रख-रखाव के उद्देश्य से गठित की जाने वाली पंजीकृत एजेंसी/अपार्टमेंट स्वामियों के संघ का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इसका गठन संबंधित लागू कानूनों तथा समय-समय पर संशोधित डीडीए (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। **प्रत्येक पॉकेट के लिए केवल एक आरडब्ल्यूए पंजीकृत की जाएगी, जिसे एक आवासीय संपदा माना जाएगा। प्रत्येक**

पॉकेट के सभी आवंटियों के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

- 9.2. रखरखाव शुल्क उस योजना के ब्रोशर में निर्धारित तरीके से लगाया जाएगा जिसमें ये प्लैट शुरू में पेश किए गए थे। **रखरखाव शुल्क पहले से ही अनुलग्नक क में दर्शाए गए निपटान मूल्य की गणना में शामिल है।**
- 9.3. व्यक्तिगत प्लैट का स्वामी अपने प्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात प्लैट के समस्त आंतरिक रख-रखाव के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- 9.4. दैनिक रख-रखाव, जिसमें हरित क्षेत्रों का रख-रखाव, परिसर/कॉलोनी/आवासीय पॉकेट की स्वच्छता, कॉमन एरिया में प्रकाश फिटिंग का प्रतिस्थापन, लिफ्टों का रख-रखाव एवं संचालन, कॉमन एरिया की विद्युत खपत के बिल का भुगतान आदि शामिल हैं, संबंधित आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी होगी।
- 9.5. कई आवासीय क्षेत्रों/कॉलोनीयों के लिए साझा क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी शहरी निकाय को क्षेत्र सौंपे जाने के बाद शहरी निकाय की होगी। जब तक क्षेत्र शहरी निकाय को नहीं सौंपा जाता, तब तक रखरखाव की जिम्मेदारी डीडीए की रहेगी। सौंपते समय, डीडीए शहरी निकाय द्वारा रखरखाव किए जाने वाले क्षेत्र और आरडब्ल्यूएस द्वारा रखरखाव किए जाने वाले क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा।
- 9.6. सामुदायिक केंद्र, जिम आदि जैसी वे सुविधाएं जो एक से अधिक आरडब्ल्यूए के लिए सामान्य हैं, उनका रखरखाव डीडीए द्वारा किया जाएगा।

10. तथ्यों का मिथ्या निरूपण अथवा तथ्यों को छिपाना: -

- 10.1. यदि यह स्थापित होता है कि आवेदक ने खंड 2 में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपात्र होने के बावजूद आवेदन किया है अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी के लाभ का मिथ्या दावा किया है अथवा गलत पैन नंबर उद्धृत करने सहित कोई झूठा शपथ-पत्र/जानकारी दी है अथवा किसी भी समय कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए आवेदन/आबंटन तत्काल निरस्त/रद्द कर दिया जाएगा तथा आबंटिती द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। यह कार्रवाई डीडीए के उस अधिकार को प्रभावित किए बिना की जाएगी, जिसके अंतर्गत वह विधि के अधीन अनुमेय अन्य कार्रवाई कर सकता है, जिसमें किसी सरकारी

प्राधिकरण के समक्ष मिथ्या निरूपण करने के संबंध में पुलिस शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट) एफआईआर (दर्ज कराना आदि शामिल है।

11. फ्लैटों का कब्जा:—

- 11.1. आबंटिती फ्लैट का कब्जा तभी लेने का हकदार होगा, जब उसने सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया हो, सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली हों तथा योजना विवरणिका/मांग-सह-आबंटन पत्र में उल्लिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत/निष्पादित कर दिए हों।
- 11.2. कब्जा-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा तथा आबंटिती को अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी ।
- 11.3. कब्जा-पत्र जारी होने के बाद आबंटिती को भौतिक रूप से कब्जा लेना होगा। यदि आबंटिती कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर फ्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो वह कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित दरों पर वॉच एंड वॉर्ड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 11.4. फ्लैटों का आबंटन “जैसा है, जहाँ है” के आधार पर किया जा रहा है। डीडीए, डीडीए (आवासीय संपदा के प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में परिभाषित संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के अनुरोध अथवा किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा। डीडीए फ्लैट की कीमत, उसके डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी अथवा किसी अन्य दोष के संबंध में भी किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।
- 11.5. यदि आबंटिती ने पूरी कीमत जमा कर दी है, लेकिन पूरी कीमत के भुगतान की तिथि से 3 माह के भीतर अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी नहीं की हैं, तो 3 माह से अधिक की विलंबित अवधि के लिए तथा उस माह तक, जिसमें पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं अथवा औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाती हैं, लागू वॉच एंड वॉर्ड शुल्क

शुल्क उससे वसूल किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, ऐसे वॉच एंड वॉर्ड शुल्क शुल्क से बचने के लिए फ्लैट का कब्जा यथाशीघ्र ले लिया जाना चाहिए।

12. हस्तांतरण विलेख :-

- 12.1. फ्लैट का वास्तविक कब्जा लेने के पश्चात् आबंटिती से अनुरोध प्राप्त होने पर हस्तांतरण विलेख (फ्रीहोल्ड डीड) के दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। आबंटिती हस्तांतरण विलेख के ऑनलाइन निष्पादन हेतु एक तिथि आरक्षित कर सकता है। इस संबंध में ई-स्टाम्पिंग तथा हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण आदि से संबंधित अन्य व्यय आबंटिती द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 12.2. हस्तांतरण विलेख के निष्पादन से पूर्व आबंटिती फ्लैट के संपूर्ण अथवा किसी भी भाग का हस्तांतरण करने या अन्यथा उसका कब्जा किसी अन्य को सौंपने का हकदार नहीं होगा। हस्तांतरण विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण किए बिना बिक्री/हस्तांतरण किए जाने की स्थिति में, डीडीए द्वारा ऐसी बिक्री/हस्तांतरण को मान्यता नहीं दी जाएगी तथा ऐसे फ्लैटों का आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 12.3. फ्लैट का स्वामित्व हस्तांतरित करने वाला निर्धारित प्रारूप में हस्तांतरण विलेख, फ्लैट का वास्तविक कब्जा लेने के पश्चात् ही मूल आबंटिती के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा। सभी अन्य देय राशियों की प्राप्ति के अधीन, इसे विधि के अनुसार उप-पंजीयक के पास पंजीकृत कराया जाएगा, बशर्ते कि मूल आबंटिती ने किसी भी प्रकार के समझौते के माध्यम से, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, फ्लैट के संपूर्ण अथवा किसी भी भाग को किसी भी रूप में बेचा, हस्तांतरित या अन्यथा अंतरित न किया हो और/या उसका कब्जा किसी अन्य को न सौंपा हो।
- 12.4. हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि आबंटिती द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम से आरक्षित की जाएगी। आबंटितियों को हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि आरक्षित करने से पूर्व अपेक्षित मूल्य के ई-स्टाम्प पेपर की प्रति अपलोड करनी होगी। आरक्षित तिथि पर आबंटितियों को सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।

12.5. हस्तांतरण विलेख के निष्पादन से पूर्व मूल आबंटिती की मृत्यु होने की स्थिति में, डीडिए की नामांतरण संबंधी नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार हस्तांतरण विलेख मूल आबंटिती के कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा।

12.6. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत फ्लैटों की कीमत निर्धारित करते समय अनेक रियायतें प्रदान की जा रही हैं। अतः ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के आबंटितियों को फ्लैट का भौतिक कब्जा लेने की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार से फ्लैट को बेचने, हस्तांतरित करने अथवा अन्यथा उसका कब्जा किसी अन्य को सौंपने की अनुमति नहीं होगी।

13. आबंटिती की स्थिति: -

13.1 सभी आबंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किए जाएंगे। तथापि, स्वामित्व तभी हस्तांतरित होगा, जब आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर दिया जाएगा तथा इसे सब-रेजिस्ट्रार, जीएनसीटीडी के कार्यालय में पंजीकृत करा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के मामले में, यदि वे किराया खरीद आधार पर आबंटन प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, तो फ्लैट की संपूर्ण कीमत, ब्याज तथा अन्य देय राशियों, यदि कोई हों, की प्राप्ति के बाद हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया जाएगा।

14. फ्लैट का निरीक्षण

14.1. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्व स्थल का दौरा करें तथा फ्लैटों का निरीक्षण कर उनके स्थान, आकार एवं कीमत के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लें। चूँकि फ्लैट के लिए आवेदन करने से पूर्व सभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है, अतः डीडिए फ्लैट की कीमत, उसके डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी अथवा किसी अन्य दोष के संबंध में किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

14.2. फ्लैटों के निरीक्षण में सुविधा प्रदान करने हेतु डीडिए के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

क्र.सं.	स्थान	डिविजनल इंजीनियर/नोडल ऑफिसर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर।
1	नरेला	श्री राज कुमार, आई (सिविल) मोबाइल: 8510844146 श्री अनूप चौहान, जेई (सिविल) मोबाइल: 9140281004
2	रोहिणी	श्री मनीष वर्मा, जेई (सिविल) मोबाइल: 8726246997
3	द्वारका (सेक्टर 14 और 19बी)	श्री दीपक जायसवाल, जेई (सिविल) मोबाइल: 9140730482 श्री पुलकित अग्रवाल, जेई (सिविल) मोबाइल: 7678474424
4	लोकनायकपुरम	श्री सुधांशु शाक्य, जेई (सिविल) मोबाइल: 9559613197
5	टोडापुर	श्री सिद्धार्थ चौहान, जेई (सिविल) मोबाइल: 7518782221
6	मंगलापुरी (द्वारका)	

14.3. योजना के शुभारंभ की तिथि से ही विकास सदन में एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी कार्य करना प्रारंभ कर देगा, ताकि आम जनता को होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके।

15 . दिव्यांगजनों के लिए हितकारी आबंटन :-

15.1 दिव्यांगजनों (दिव्यांग व्यक्तियों) के लिए आवंटन हेतु भुगतान के दो विकल्प होंगे, अर्थात् किराया-खरीद आधार पर आवंटन अथवा एकमुश्त नकद भुगतान के आधार पर आवंटन। किराया-खरीद आधार पर आवंटन की स्थिति में प्रारंभिक भुगतान कुल कीमत का 25% होगा। शेष राशि का भुगतान अधिकतम 15 वर्ष की अवधि तक मासिक किस्तों में किया जाएगा। इस पर मासिक घटते हुए बकाया शेष के आधार पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

15.2. ऐसे आबंटितियों को, जिन्हें उपर्युक्त कोटे के तहत फ्लैट आबंटित किया गया है, उन्हें कीमत में 5%, अधिकतम 1.00 लाख रु. तक, की छूट दी जाएगी। आबंटन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। विक्रेय विलेख दस्तावेज केवल मूल आबंटितियों के नाम पर ही निष्पादित किए जाएंगे।

15.3. ऐसे फ्लैटों के आवंटन-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि आबंटिती को फ्लैट का वास्तविक कब्जा सौंपे जाने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले अथवा फ्लैट की कीमत, ब्याज एवं अन्य देय राशियों का भुगतान किए जाने तक-इनमें से जो भी पहले हो-फ्लैट के कब्जे का हस्तांतरण किए जाने पर फ्लैट का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में उक्त निरस्तीकरण वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी मामलों में हस्तांतरण विलेख में भी निम्नलिखित विशिष्ट शर्त शामिल की जाएगी। यह शर्त आवंटन-पत्र में भी सम्मिलित होगी तथा आवंटि को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पूर्व शपथ-पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से सहमति देनी होगी कि उक्त शर्त हस्तांतरण विलेख का हिस्सा होगी।

15.4. प्रस्तावित खण्ड निम्न प्रकार से होगा:

“यह कि आवंटि/क्रेता स्पष्ट रूप से सहमत है कि विक्रेता द्वारा आवंटि/क्रेता को फ्लैट का वास्तविक कब्जा सौंपे जाने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व अथवा फ्लैट की कीमत, ब्याज एवं अन्य देय राशियों का भुगतान किए जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, वह किसी भी समय उक्त फ्लैट के संपूर्ण अथवा किसी भी भाग का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। इस सीमा तक संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता में निहित माना जाएगा। यह भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि आवंटि/क्रेता वर्तमान हस्तांतरण विलेख की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो संपूर्ण हस्तांतरण विलेख शून्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विक्रेता को आवंटि/क्रेता से हस्तांतरित संपत्ति का कब्जा वापस लेने का अधिकार होगा।”

15.5. यदि आवंटि की मृत्यु निर्धारित 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी भी उपर्युक्त शर्त का पालन करने के लिए बाध्य होंगे तथा उन्हें उक्त फ्लैट में रहने का अधिकार होगा।

15.6. यह रियायत केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगी, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तथा जिनके संबंध में मेडिकल बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

15.7. इस खंड के अंतर्गत अनुमन्य लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने बेंचमार्क दिव्यांगता (दिव्यांगजन) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है। यदि फ्लैट का आवंटन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है, तो किसी भी परिस्थिति अथवा किसी भी प्रकार से उपर्युक्त लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे

आवंटी न तो इस प्रकार के लाभ का दावा कर सकेंगे और न ही इस संबंध में उनके किसी अनुरोध पर डीडीए/डीई द्वारा विचार किया जाएगा।

16. अन्य सामान्य शर्तें:-

- 16.1. डीडीए अपने विवेक से योजना विवरणिका (ब्रोशर) के किसी भी नियम और शर्तों/खंड में, जब भी आवश्यक समझा जाए, बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 16.2. डीडीए के पास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित फ्लैट की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। डीडीए परिस्थितियों के आधार पर कुछ/सभी फ्लैट वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- 16.3. इस योजना के अंतर्गत आवंटन, इस पुस्तिका (ब्रोशर), मांग-एवं-आवंटन पत्र तथा समय-समय पर संशोधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 में निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- 16.4. डीडीए (आवासीय संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1986 के विनियम संख्या 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी दरें, फीस, कर, प्रभार, नगरपालिका करों का मूल्यांकन और किसी भी प्रकृति की उगाहियाँ पंजीकृत एजेंसी के आबंटिती/अपार्टमेंट स्वामियों की एसोसियेशन, जैसा भी मामला हो, द्वारा वहन की जाएगी और अपार्टमेंट स्वामियों की एसोसियेशन /पंजीकृत एजेंसी के आबंटियों द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि के अंदर भुगतान किया जाएगा।
- 16.5. मूल्य निर्धारण (प्राइसिंग) से संबंधित मामलों को छोड़कर, इस योजना से संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में केवल दिल्ली/नई दिल्ली स्थित न्यायालयों अथवा उपभोक्ता न्यायालयों को ही न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
- 16.6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे डीडीए के अंदर आबंटन और संबंधित मामलों के संदर्भ में सभी पत्राचार में अपने आवेदन पत्र संख्या, फ़ाइल संख्या आदि का उल्लेख करें, और यह पत्राचार संबंधित उप-निदेशक, डी-ब्लॉक, विकास सदन, डीडीए, नई दिल्ली-110023 को संबोधित किया जाना चाहिए।
- 16.7. किसी भी शिकायत के मामले में, आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिनों में निदेशक (आवास)-I/निदेशक (आवास)-II, आयुक्त (आवास), प्रधान आयुक्त (आवास) या उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकता है। हालाँकि, वित्तीय मुद्दों पर, आवेदक को पहले वित्त सलाहकार (आवास), डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

- 16.8. आवेदन स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपने हित में अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लें। यदि बाद में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि आवेदक योजना के अंतर्गत पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करता है तो वह प्लैट के आबंटन का हकदार नहीं माना जाएगा।
- 16.9. प्लैट आबंटन के लिए आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी/ दस्तावेज के आधार पर ही मांग एवं आबंटन पत्र जारी किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जानकारी गलत, मिथ्या अथवा असत्य है, तो आबंटन बिना किसी पूर्व नोटिस के स्वतः रद्द हो जाएगा और ऐसे मामलों में आवेदक के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। बुकिंग राशि सहित भुगतान की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

अनुलग्नक 'क'

क्र.सं.	स्थान	प्लैटों की श्रेणी	प्लैटों की संख्या *	प्लिंथ क्षेत्रफल की अनुमानित रेंज (वर्गमीटर में) **	अनंतिम कीमत की व्यापक रेंज (लाख रूपये में) ***
1	नरेला	ईडब्ल्यूएस	672	34.76 से 61.99	9.18 से 27.86 (15% डिस्काउंट के बाद)
2	लोकनायकपुरम	ईडब्ल्यूएस	108	55.35 से 61.17	29.60 से 32.62
3	रोहिणी	जनता	97	28.01 से 28.81	14.59 से 15.00
4	टोडापुर	जनता	3	22.28 से 25.04	18.02 से 18.43
5	द्वारका (सेक्टर	ईडब्ल्यूएस	241	57.94 से 58.93	34.74 से 35.32

	14)				
6	द्वारका (सेक्टर 19 बी)	ईडब्ल्यूएस	3	50.04	26.77
7	मंगलापुरी, द्वारका	ईडब्ल्यूएस	48	50.74 से 52.50	32.32 से 33.43
कुल फ्लैट			1172		

नोट: -

* योजना आरम्भ करने के समय फ्लैटों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है और उपलब्धता की शर्त पर विशेष स्थान/क्षेत्र में फ्लैटों की संख्या में बदलाव किया जा सकता

** प्लिंथ क्षेत्रफल में कॉमन एरिया शामिल है और यह हर फ्लैट में भिन्न हो सकता है।

*** मांग-पत्र प्रत्येक फ्लैट के जारी किया जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर भिन्न हो



वास्तविक प्लिंथ क्षेत्रफल के अनुसार फ्लैटों की निपटान कीमत प्लिंथ सकती है। अनंतिम लागत में **कन्वर्जन**

शुल्क और वॉटर कनेक्शन शुल्क शामिल नहीं है। यह नोट किया जाए कि यदि बाद में एलआईजी फ्लैटों को शामिल किया जाता है तो उनके लिए कन्वर्जन शुल्क लागू होंगे ।

- 1172 फ्लैटों की विस्तृत सूची के लिए निम्नलिखित क्यूआरकोड स्कैन करें ।

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र सं. -

शपथ-पत्र

(नोट: यह शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराया जाए तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगाई जाए।)

मैं श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी
..... सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान
करता/करती हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ :

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. मैंने **डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (एफसीएफएस)** के अंतर्गत (पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) आधार पर) आवेदन करने के समय वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हूँ। मेरी जन्मतिथि है।
3. कि योजना विवरणिका के खंड 2.7 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अंतर्गत मेरा संयुक्त आवेदक मेरा/मेरी (संबंध) है।
4. मैंने आवेदन सं. के अंतर्गत आवंटित किए गए फ्लैट संख्या को बेचा, अंतरित, समनुदेशित अथवा कब्जे की पूर्ण/आंशिक रूप से विभक्त नहीं किया है। कि मैंने किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई बिक्री करार, मुख्तारनामा या विक्रय हेतु करार नहीं किया है।
5. कि मैंने सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी
..... ने आवेदन-
पत्र सं. द्वारा **डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (एफसीएफएस)** के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/ एमआईजी/एचआईजी/फ्लैटों के आबंटन के लिए आवेदन किया था और मुझे आवंटन-पत्र संख्या दिनांक
..... द्वारा फ्लैट सं.

.....
पॉकेट..... सेक्टर..... क्षेत्र
.....आबंटित किया गया है और मैं इस फ्लैट का कब्जा पाने की/का
हकदार हूँ।

6. कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री
श्री कानूनी रूप से मेरी
विवाहिता पत्नी/मेरे विवाहित पति हैं।

7. मैंने आवेदन पत्र भरने से पहले, **डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (एफसीएफएस)** की सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा मुझे ये सभी स्वीकार्य हैं एवं मैंने, मुझे आबंटित फ्लैट का निरीक्षण कर लिया है तथा मैं फ्लैट/क्षेत्र की सामान्य स्थिति से संतुष्ट हूँ।

अभिसाक्षी

सत्यापन:

मैं, ... एतद्वारा सत्यापित करता/ती हूँ
कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ऊपर पैरा 1 से 7 में उल्लिखित तथ्य सही हैं
और उनमें कुछ भी असत्य नहीं है तथा उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

स्थान

दिनांक

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र सं.

वचन-बंध

(नोट: यह वचनबंध पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर / ई-स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराया जाए तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगाई जाए।)

जबकि मुझे
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री

निवासी

.....
..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा गया है) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर
.....

..... आबंटित किया गया है (जिसे आगे फ्लैट कहा गया है)।

और जबकि उक्त विनियमों के अंतर्गत मुझे फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले फ्लैटों के उपबंध के अंतर्गत मेरे लिए फ्लैट के साथ लगे हुए कॉमन हिस्सों और सेवाओं के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक पंजीकृत एजेंसी का गठन, फ्लैट के हस्तांतरण विलेख और भूमि के संयुक्त पट्टा विलेख का निष्पादन कराना बाध्यकर होगा।

और जबकि उक्त विनियमों के अंतर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने फ्लैट का तात्कालिक कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है।

मैं
श्री.....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
निवासी

.....
.....
.....

दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर आवेदन किए आबंटित प्लैट का कब्जा पहले दिए जाने की स्थिति में, उन सभी निबंधन और शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में निर्धारित है, जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेज भी शामिल हैं, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लैट के हस्तांतरण विलेख और प्लैट से संलग्न जमीन के संयुक्त पट्टा अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं और मैं उन पर हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूंगा/करूंगी तथा उनका पंजीकरण प्लैट का कब्जा सौंपने की तिथि से 90 दिन के अंदर या उस बढ़ाई गई अवधि, जिसकी अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दी जाएगी, मैं उक्त विनियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूंगा/दूंगी और उस बढ़ाई गई अवधि के 90 दिनों की उक्त अवधि के दौरान, जैसा भी अनुमेय हो, मैं आबंटित प्लैट से संबद्ध सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

मैं यह वचन भी देता/देती हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेंसी का गठन करूंगा/करूंगी और उसका सदस्य बनूंगा/बनूंगी तथा उसके लिए बनाए गए नियमों का पालन करूंगा/करूंगी, जिसे मैंने पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है।

मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्धन/परिवर्तन न करने का भी वचन देता हूँ/देती हूँ। यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में मैं असमर्थ रहा/रही, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय इकाई का आबंटन रद्द करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं यह भी समझता हूँ कि यदि मैं/ हम **डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 (एफसीएफएस)** की योजना के ऑफर में दो साथ सटे हुए प्लैट क्रय करता हूँ/करते हैं या एक ऐसा प्लैट क्रय करता हूँ/करते हैं, या मैं/हम एक प्लैट क्रय करता हूँ/करते हैं जो मेरे परिवार के करीबी सदस्यों द्वारा क्रय किए हुए या स्वामित्व वाले प्लैट के साथ सटा हुआ है, तो मुझे/हमें अनुमोदन की शर्त पर इन दोनों प्लैटों को समामेलित करने के लिए साझा दीवार के बीच से एक साझा दरवाजा खोलने की स्वतंत्रता होगी। जहाँ भी यह संरचनात्मक रूप से संभव हो और डीडीए से आवश्यक संरचनात्मक अनुमोदन लेने की शर्त के अधीन भी हो।

वर्ष के मास के दिन
..... को मेरे द्वारा निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में
हस्ताक्षर किए गए।

1.

2.

आबंटिती